FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

कानसिंह कोरा बनाम लोंगाराम कोरा

किस्म मुकदमा 111, 128 LLR Act नं. 192/19 सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.19	प्रार्थी/~~वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.07.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
08/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/10/19 को पेश होवे। (हस्ताक्षर)	
09/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
30/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:16:50 IST
Reason: SelfAttested

26/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

18/03/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत सेढा सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मोर्ड व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस प्रार्थी को अपने खेत के सेढे का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढे को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढे का सही ज्ञान करने हेतु नेपथमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपथमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपथमबन्दी मोर्ड पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:16:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की पूर्व मे बहस सुनी गयी । प्रार्थी का आवेदन पूर्व मे स्वीकार किया जा चुका है आवेदन मे आदेश लिखने से वंचित रह गया था, आदेश लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:16:50 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म की अदालत में जारी हुआ

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु ज़िला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 796

दिनांक :– 21/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –192 / 2019

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री कानसिंह पुत्र शैतानसिंह वगैरा 5 जाति–राजपूत, निवासी–धांधुपुरा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		श्री लोंगाराम पुत्र जेरामाराम वगैरा 16, निवासी–धांधुपुरा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–धांधुपुरा, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 499 / 279, 497 / 307 रकबा क्रमशः 12.10, 03.00 बीघा व मौजा–मुकनगढ़, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1169 / 523, 1173 / 536 रकबा क्रमशः 11.10, 16.15 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / — जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

21/10

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 797 – 801

दिनांक :– 21/10/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कानसिंह पुत्र शैतानसिंह वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री लोंगाराम पुत्र जेरामाराम वगैरा 16।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:16:50 IST
Reason: SelfAttested